न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।

पीठासीन – बी0 राम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सिविल निगरानी सं0 18/2018

ब्रजभान सिंह पुत्र लल्ली सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट कुरारा तहसील व जिला जिला हमीरपुर। ... . निगरानीकर्ता/प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी।

।। बनाम ।।

शिव सिंह उर्फ भूरा सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम चकोठी पोस्ट झलोखर परगना व जिला हमीरपर। ... . प्रत्यर्थी/वादी/डिक्रीदार।

निर्णय

प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्ता/प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी द्वारा अन्तर्गत आदेश 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), हमीरपुर के आदेश दिनांकित 07–04–2018, जो इजरा वाद सं0 8/2017 शिव सिंह प्रति बृजभान सिंह में पारित किया गया है, के विरूद्ध दायर की गयी है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय ने इजरा की कार्यवाही स्थगित किये जाने सम्बन्धी निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अवर न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा मूल वाद सं0 4/1996 संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु दायर किया गया था। उक्त वाद दिनांक 12.8.04 को डिक्री हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा जिला जज, हमीरपुर न्यायालय में अपील सं0 43/2004 बृजभान सिंह बनाम शिव सिंह दायर की गयी और उक्त अपील को न्यायालय तृतीय अपर जिला जज, हमीरपुर द्वारा दिनांक 14.4.17 को खारिज कर दिया गया। निगरानीकर्ता के अनुसार न्यायालय तृतीय अपर जिला जज, हमीरपुर के निर्णय दिनांकित 14.4.17 के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने द्वितीय अपील सं0 847/2017 मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। यह कहा गया है कि उक्त अपील में प्रत्यर्थी उपस्थित हो चुका है, परन्तु अपील में बहस नहीं हो पा रही है और उक्त अपील में सुनवाई को प्रत्यर्थी टाल रहा है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को इजरा वाद सं0 08/2017 की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए था।

निगरानी के आधार स्वरूप यह कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश तथ्यों व विधि के विरूद्ध है तथा अवर न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का मन माने ढंग से प्रयोग किया गया है। यह भी कहा गया है कि विवादित भू खण्ड की कीमत पांच लाख रूपया प्रति बीघा है और इस प्रकार पूरी जमीन की कीमत सत्तर लाख रूपया से कम नहीं है, परन्तु गलत तरीके से मात्र एक लाख रूपया में इकरारनामा बय निष्पादित करा लिया गया है। एक आधार निगरानी में यह भी बताया गया कि प्रारूप बैनामा में पेज–3 पर अपील सं0 43/04 को जिला जज न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना बताया गया है, जबकि उक्त अपील न्यायालय तृतीय अपर जिला, हमीरपुर से निर्णीत हुई है और प्रारूप बैनामा को गलत तरीके से अनुमोदित कर दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये उक्त इजरा वाद में मान्नीय उच्च न्यायालय से स्थगन दाखिल करने के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसे स्वीकार करने की याचना की गयी है, जबकि प्रत्यर्थी की ओर से निगरानी को आधार हीन बताते हुये खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत निगरानी में मात्र यह प्रश्न विचारणींय है कि क्या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के कारण अवर न्यायालय द्वारा इजरा वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाना चाहिए या जब तक मान्नीय उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर लेकर निगरारनीकर्ता दाखिल नहीं कर देता है अथवा जब तक अपील लम्बित है, तब तक इजरा की कार्यवाही अवर न्यायालय द्वारा स्थिगित कर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–41 में प्राविधान है। आदेश–41 नियम–5(1) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्राविधानित है कि अपील दायर करने का तात्पर्य अपील के अन्तर्गत प्रश्नगत डिक्री या आदेश की कार्यवाही को रोकना नहीं होगा, किन्तु यदि अपीलीय न्यायालय आदेश दे तो कार्यवाही रोकी जा सकेगी। केवल इस कारण से कि डिक्री के विरूद्ध अपील की गयी है, डिक्री का निष्पादन स्थगित नहीं होगा, किन्तु अपीलीय न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए आदेश पर्याप्त हेतुक से दे सकता है।

नियम–5(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्राविधान है है कि जहॉ किसी अपीलीय डिक्री के निष्पादन को रोके जाने के लिए आवेदन उस समय के अवसान से पूर्व जो उसकी अपील करने के लिए अनुज्ञात है, किया जाता है, वहॉ डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन के रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर दे सकता है। नियम–5 की उप धारा–3 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन को रोकने के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रतिबंध भी लगाता है।

उपरोक्त नियम–5 के प्राविधानों से स्पष्ट है कि डिक्री पारित करने के बाद डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को डिक्री का क्रियान्वयन मात्र उस समय तक स्टे करने का अधिकार है, जब तक कि डिक्री के विरूद्ध अपील दायर करने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त नहीं हो जाता और अपील दायर करने के बाद डिक्री के निष्पादन को रोकने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को है। किसी डिक्री के विरूद्ध मात्र अपील दायर करने के आधार पर निष्पादन न्यायालय डिक्री के निष्पादन की कार्यावाही को स्थगित नहीं कर सकता है, जैसा कि नियम–5 में उल्लिखित है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता का यह कथन सारहीन है कि मात्र मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने से अवर न्यायालय को डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

एक आधार यह भी बताया गया है कि डिक्री का जो प्रारूप अनुमोदित किया गया है, उसमें अपील निर्णीत करने वाले न्यायालय का नाम जिला जज न्यायालय लिखा है, जबकि अपील तृतीय अपर जिला जज के न्यायालय से निर्णीत हुई है। उक्त आधार पर निश्चित रूप से प्रारूप के अनुमोदन को त्रुटि पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील निर्णीत की गयी है और जिला जज न्यायालय के अन्तर्गत अपर जिला जज के न्यायालय भी आते है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर मैं यह पाता हूॅ कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश न तो विधि विरूद्ध है, न

क्षेत्राधिकार के अभाव में है और न ही क्षेत्राधिकार के बाहर है। अतः प्रश्नगत आदेश में मैं किसी हस्तक्षेप का आधार नहीं पाता हूॅ। तद्नुसार निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

यह सिविल निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07—4—18 पुष्ट किया जाता है। अवर न्यायालय को अभिलेख वापस भेजा जाये।

दिनांक— अगस्त 30, 2018

(बी0 राम)
जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक— अगस्त 30, 2018

(बी0 राम)
जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर।